संख्या-03/2016/96/52-2-16-2(270)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, भदोही, अमेठी, फैजाबाद, मीरजापुर ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2016

विषय-अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1137/व0 आ0-31(88)/2016 दिनांक 18-01-2016, पत्र संख्या-1087/व0आ0-31(88) /2014 दिनांक 17-12-2015, पत्र संख्या-1134/व0अ0-31(88)/2016 दिनांक 18.01.2016, पत्र संख्या-1125/व0अ0-31(88)/2014 दिनांक 12.01.2016, तथा जिलाधिकारी इलाहाबाद का पत्र संख्या- 1379/अ0स0क0/पी0एल0ए0/2013-14 दिनांक 12.01.2016, जिलाधिकारी भदोही का पत्र संख्या-1914/अ0स0क0-कब्रि0/2015-16 दिनांक 15.01 .2016 जिलाधिकारी फैजाबाद का पत्र संख्या-887/अ0स0क0/ कब्रिस्तान/2014-15 दिनांक 14.01.2016 एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इलाहाबाद का पत्र संख्या-1288/जी0अ0/स0क0/पी0एल0ए0/2013-14 दिनांक 22.12.2015, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भोदोही के पत्र संख्या-1835/ अ0स0क0/कब्रिस्तान/ 2015-16 दिांक 11.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की 50 प्रतिशत प्रथम / द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 676.0345 लाख (रूपये छः करोड छिहत्तर लाख तीन हजार चार सौ पचास मात्र) जो डी0 आर0 डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पी0 एल0 ए0 से

http://shasanadesh.up.nic.in

अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी पी.एल.ए. में रखी धनराश कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम किस्त की धनराशि से कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर स्वत्रन्त रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित कर ले एवं उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2013-14 हेतु स्वीकृत धनराशि में से द्वितीय किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे व अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जा रहे निर्माण कार्य की उपयोगिता/गुणवत्ता की नियमित समीक्षा अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

<u>जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण :-</u>

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	किश्त प्रथम /द्वितीय)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	इलाहाबाद	605.939	302.9695	302.9695	II
2	भदोही	152.985	76.4925	76.4925	II
3	अमेठी	146.985	73.3925	73.3925	II
4	फैजाबाद	287.97	143.985	143.985	II
5	मीरजापुर	152.985	79.195	79.195	II
	योग			रू0 676.0345	

(रूपये छः करोड छिहत्तर लाख तीन हजार चार सौ पचास मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-206/दस-2016, दिनांक 16 फरवरी,,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2016/96/52-2-16-2(270)/13

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद, भदोही, अमेठी, फैजाबाद, मीरजापुर।
6- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद, भदोही, अमेठी, फैजाबाद, मीरजापुर।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी।

http:shasanadesh.up.nic.in